न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः—श्री मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः—477/2015/223 (2015/00477)

1. जीवराज सिंह पुत्र हीरसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी चावण्डिया खुर्द, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नि चेतनसिंह, जाति राजपुरोहित, निवासी चावण्डिया खुर्द, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।
2. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, रियांबड़ी, जिला नागौर ।
3. पटवारी हल्का चावण्डियाकंला, तहसील रियांबड़ी, जिला नागौर ।
4. खींवसिंह पुत्र हीरसिंह, जाति राजपुरोहित,
5. जगदीश सिंह पुत्र हीरसिंह, जाति राजपुरोहित,
6. आयदान सिंह पुत्र हीरसिंह, जाति राजपुरोहित (मृतक) जरिये वारिसानः—
   6/1— उच्छब कंवर पत्नी आयदान सिंह,
   6/2— धनसिंह पुत्र आयदानसिंह,
   6/3— भगवंती कंवर पुत्री आयदान सिंह,
   6/4— मीना कंवर पुत्री आयदान सिंह,
7. चेतनसिंह पुत्र सोहनसिंह, जाति राजपुरोहित,
8. पुष्पा कंवर पुत्री सोहनसिंह, जाति राजपुरोहित,
9. सीता कंवर पुत्री सोहनसिंह, जाति राजपुरोहित,

समस्त निवासी चावण्डिया खुर्द, तह0 रियांबड़ी, जिला नागौर ।

रेस्पोडेंटस

<u>अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध विरूद्ध निर्णय व अंतिम डिक्री विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी जिला नागौर दिनांक 23.5.2014 अंतर्गत वाद संख्या 85/2014.</u>

<u>उपस्थितः—</u>

1. श्री भीयांराम चौधरी, वकील अपीलांट ।
2. श्री रामसुख चौधरी, वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 2 व 3.
4. श्री करणसिंह, वकील रेस्पो0 संख्या 4, 5 व 6/1.
5. रेस्पो0 संख्या 6/2 से 9 अनुपस्थित ।

निर्णय

दिनांकः— 24.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी, जिला नागौर के निर्णय व डिक्री दिनांक 13.7.2020 के विरूद्ध राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर के न्यायालय मे प्रस्तुत की गई जो माननीय राजस्व मण्डल राज0, अजमेर द्वारा मुन्तकिली प्रार्थना पत्र /टीए/950/15/नागौर में पारित

निर्णय दिनांक 27.10.2015 द्वारा न्यायालय हाजा को स्थानातंरित की गई है।

2. वादी/रेस्पो0 संख्या 1 ने अधी0न्याया0 में एक वाद अंतर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 के तहत विरूद्ध रेस्पो0 संख्या 2 लगायत 3 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम चावण्डिया खुर्द में स्थित आराजी खसरा नंबर 63 रकबा 2 है0, खसरा नंबर 64 रकबा 2.65 है0, खसरा नंबर 65 रकबा 2.63 है0, खसरा नंबर 103/299 रकबा 1.29 है0, खसरा नंबर 110 रकबा 1.46 है0, खसरा नंबर 118 रकबा 2.73 है0 कुल किता 6 कुल रकबा 12.76 है0 के मूल खातेदार श्रीमती फेफ कंवर पत्नि स्व0 कानसिंह जाति राजपुरोहित निवासी चावण्डियाखुर्द के कब्जे काश्त की भूमि थी । उक्त बाबत् फेफ कंवर से दिनांक 14.3.2014 को रेस्पो0 संख्या 1/वादिया के पक्ष में एक वसीयत करवा ली जो नोटेरी पब्लिक के यहां से दिनांक 15.3.2014 को तस्दीक करवाया और उक्त वसीयत को लेकर एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त वसीयत के आधार पर वादिया के नाम खातेदारी दर्ज की जावे । अधी0न्याया0 ने ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2014 द्वारा वादिया/रेस्पो0 संख्या 1 का वाद स्वीकार कर डिक्री पारित की । अधी0न्याया0 के इस निर्णय से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 पेश कर कथन किया कि वादग्रस्त आराजियात प्रार्थी की पुश्तैनी आराजियात है जिस बाबत् निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व अधी0न्याया0 ने प्रार्थी को साक्ष्य एवं सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं कर विपक्षी के वाद को डिक्री किया है । यदि प्रार्थी को अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री के विरूद्ध माननीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुती की अनुमति प्रदान नहीं की गई तो अप्रार्थिया जबरन प्रार्थी को उनके क़ब्जे काश्त की आराजियात से बेदखल कर रहन, बय, मुंतकिल कर देगी जिससे प्रार्थी के हक अधिकारों पर कुठाराघात होगा । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थी को अधी0न्याया0 उपखण्ड अधिकारी, रियांबड़ी के निर्णय व डिक्री दिनांक 23.5.2014 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत करने की अनुमति प्रदान की जावे ।

5. प्रकरण में गुणावगुण पर विद्वान वकील अपीलांट ने लिखित बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व अंतिम डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है । विवादित आराजियात पुश्तैनी आराजियात है जिसकी वसीयत नहीं हो सकती है । इसके बावजूद अधी0न्याया0 ने वसीयत को आधार मानकर विधि के विपरीत वाद डिक्री किया है जो निरस्तनीय है । अधी0न्याया0 के समक्ष तथाकथित अनरजिस्टर्ड वसीयत जो कि एक फर्जी व कूटरचित दस्तावेज है, क्योंकि दिनांक 14.3.2014 को वसीयतकर्ता सचेत अवस्था में नहीं थी, बीमार थी। दिनांक 15.3.2014 को वसीयत नोटेरी पब्लिक द्वारा तस्दीक करना बताया है उस दिन वसयीतकर्ता को कृष्णा हॉस्पिटल मेड़ता सिटी में भर्ती करवाया गया था । उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने से उन्हें आक्सीजन लगवाकर एम्बूलेन्स के माध्यम से जवाहर लाल नेहरू चिकित्सालय अजमेर के वार्ड कमला नेहरू चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था जहां दिनांक 17.3.2014 को सुबह 5.00 बजे उनकी मृत्यु हो गई थी । उक्त सभी तथ्यों बाबत् अपीलांट ने प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 जा0दी0 के प्रार्थना पत्र के साथ साक्ष्य अधी0न्याया0 के समक्ष पेश किये थे जिन्हें अधी0न्याया0 ने नजरअंदाज कर वाद स्वीकार करने में भारी

त्रुटि कारित की है । यह भी कथन किया कि फर्जी वसीयत के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट पुलिस थाना पादुकंला में दर्ज कराई गई है जिसका शिकायत क्रमांक 184/2014 दिनांक 3.9.2014 है । अधी0न्याया0 ने वसीयत को बिना प्रमाणित कराये एवं बिना पक्षकारां को सुनवाई का अवसर दिये विधि द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के विपरीत वाद डिक्री किया है। मृत व्यक्ति के हक व अधिकारों की घोषणा बाबत् अनरजिस्टर्ड दस्तावेज के आधार पर राजस्व न्यायालय निर्णय नहीं कर सकता है । इसके लिये सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा सकता है । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि विवादित आराजी पुश्तैनी है जिसके मूल खातेदार पूरणसिंह थे और उनके तीन पुत्र सोहनसिंह, हीरसिंह व कानसिंह थे । विवादित आराजियात कानसिंह की थी और खातेदारी घोषणा के वाद में यदि एक से अधिक सहखातेदार हो तो सभी सहखातेदारों को पक्षकार बनाया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। अधी0न्याया0 ने समस्त सहखातेदारों को पक्षकार बनाये बिना वाद डिक्री करने में विधिक त्रुटि कारित की है । अधी0न्याया0 ने मात्र पटवारी हल्का चावण्डिया कंला द्वारा बनाई गई मौका रिपोर्ट जो कि मौके पर जाकर नहीं बनाई गई थी, के आधार निर्णय पारित किया है जबकि विवादित आराजियात पर आज भी मौके पर बिना बंटवारा कराये समस्त सहखातेदार काबिज काश्त है । अपीलांट व उसका परिवार ही मृतक फेफकंवर की सेवा चाकरी उसके जीवनकाल से लेकर अंतिम समय तक करता रहा था । फेफकंवर की मृत्यु उपरांत गांव मे संपूर्ण रीति–रिवाज व बारहवें की रस्म व गंगा प्रसादी व मृतक के फूलों को लेकर हरिद्वार भी अपीलांटव उसका परिवार ही गया था । इसलिये वसीयत से लेकर दावे तक की सारी कार्यवाही फर्जी व कूटरचित तरीके से पटवारी हल्का चावण्डिया कंला द्वारा कार्यालय में बैठकर बनाई गई मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित किया है जो निरस्तनीय है । वादी ने राज्य सरकार को वाद में पक्षकार तो बनाया है किन्तु धारा 80 जा0दी0 का नोटिस नहीं दिया है जो कि आज्ञापक है इसके अभाव में वादी का वाद संधारण योग्य नही था । अधी0न्याया0 ने इस तथ्य पर ध्यान नही दिया कि यदि मृतक फेफकंवर की वसीयत थी तो उसकी मृत्यु उपरांत उक्त वसीयत पटवार हल्का चावण्डिया कंला ग्राम पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर नामांतकरण की कार्यवाही क्यों नहीं की गई किन्तु वादी ने सीधे ही वसीयत के आधार पर खातेदारी का वाद प्रस्तुत किया है जो संदेहास्पद है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जावे । यदि अधी0न्याया0 के निर्णय व डिक्री की पालना में राजस्व रिकार्ड में परिवर्तन करवा लिया गया है तो उसे भी निरस्त किया जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय व डिक्री विधिसम्मत् है । विवादित आराजियात श्रीमती फेफकंवर पत्नि स्व0 कानसिंह जाति पुरोहित निवासी चावण्डिया खुर्द की खातेदारी काश्तकारी की आराजियात है । फेफकंवर के कोई पुत्र व पुत्री नहीं होने से फेफकंवर की सेवा–चाकरी रेस्पो0 संख्या 1 मुन्नीदेवी द्वारा ही गई थी । फेफकंवर ने अपने सगी जेठुता बहू रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में एक वसीयतनामा दिनांक 14.3.2014 को 100/–रू0 स्टाम्प पर निष्पादित किया जिसे स्वंय फेफकंवर ने मेड़तासिटी स्टाम्प वेण्डर से क्रय किया था जिस पर स्वंय फेफकंवर की अंगूठा निशानी है । उक्त वसीयत को दिनांक 15.3.2014 को नोटेरी पब्लिक श्री चैनाराम कलवाणि, एडवोकेट मेड़ता से तस्दीक करवाया गया है । उक्त वसीयत को फेफकंवर ने दो गवाह हरेन्द्र जाट व विजय की उपस्थिति में स्वीकार किया है । उक्त वसीयत अंतिम वसीयत है जिसे किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा आज दिवस तक निरस्त नहीं कराया गया है । वसीयत

के गवाहों ने वसीयत की पुष्टि के संबंध में अधी0न्याया0 के समक्ष अपने शपथ पत्र पेश किये है । अधी0न्याया0 ने दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर वाद डिक्री किया है जो विधिसम्मत् निर्णय है ।

7. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 1 ने प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 के संबंध में बहस में कथन किया कि अपीलांट ने धारा 96 जा0दी0 का प्रा0पत्र पेश कर अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील की अनुमति चाही है जो नहीं दी जा सकती है । क्योंकि अपीलांट अधी0न्याया0 के समक्ष पक्षकार नहीं था। अपीलांट किसी भी रूप में आवश्यक पक्षकार नहीं है । अपीलांट का वादग्रस्त आराजियात से कोई संबधं व हक नही है । अपीलांट ने केवल मात्र वादग्रस्त भूमि को पैतृक भूमि होना बताकर धारा 96 जा0दी0 के तहत प्रार्थना पत्र की है । खातेदार फेफकंवर के यदि कोई पुत्र व पुत्री होता तो उन्हें धारा 96 जा0दी0 के तहत वाद प्रस्तुत करने का अधिकार होता । अपीलांट तृतीय पक्षकार है जिसका विवादित भूमि से कोई संबंध नहीं है । यदि फेफकंवर निर्वसीयती फौत होती तो अन्य पक्षकार के हक व अधिकार लागू होते किन्तु हस्तगत प्रकरण में फेफकंवर द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में वसीयत निष्पादित की गई है जिससे अपीलांट को फेफकंवर की आराजियात बाबत् किसी प्रकार का वाद एवं अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही है । अधी0न्याया0 ने पत्रावली पर उपलब्ध संपूर्ण दस्तावेजी साक्ष्यों का विस्तृत विवेचन, विश्लेषण उपरांत वाद डिक्री किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है । अतः अपील अपीलांट निरस्त की जावे ।

8. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों तथा अधी0न्याया0 के निर्णय का अवलोकन किया । हम सर्वप्रथम अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 का निस्तारण करना उचित समझते है । अपीलांट ने विवादित आराजियात पैतृक भूमि होने के आधार पर हस्तगत अपील पेश की है । पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि श्रीमती फेफकंर ने दिनांक 14.3.2014 को 100/–रू0 के स्टाम्प पर विवादित आराजियात की वसीयत रेस्पो0 संख्या 1 श्रीमती मुन्नीदेवी पत्नि चेतनसिंह के पक्ष में निष्पादित की है तथा उक्त वसीयतनामा को नोटेरी पब्लिक द्वारा भी तस्दीक कराया गया है । अपीलांट ने उक्त वसीयत को फर्जी होने का कथन किया है किन्तु उक्त वसीयत को निरस्त कराने के संबंध में अपीलांटस द्वारा सक्षम न्यायालय में चाराजोही किये जाने के संबंध में कोई कार्यवाही की हो इस संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है । जहां तक विवादित आराजियात पुश्तैनी होकर अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 मृतक खातेदार श्रीमती फेफकंवर के वारिसान होने का प्रश्न है। इस संबंध में अपीलांट ने विवादित आराजियात पुश्तैनी होने के संबंध में कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किये है ना ही श्रीमती फेफकंवर के विधिक वारिसान होने के संबंध में कोई प्रमाणित सजरा ही पेश किया है जिससे साबित हो कि विवादित आराजियात पुश्तैनी होने से अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 भी श्रीमती फेफकंवर के विधिक वारिसान होने से उनका भी उक्त आराजियात में हक व हिस्सा है । फेफकंवर द्वारा निष्पादित वसीयत फर्जी होने के संबंध में श्रीमती फेफकंवर के पुत्र अथवा पुत्रियां ही उज्र उठा सकते है । अपीलांट ने विवादित आराजियात पुश्तैनी होना तथा फेफकंवर के विधिक वारिसान होना दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किया है । ऐसी स्थिति में अपीलांट एवं अन्य रेस्पो0 के विवादित आराजियात बाबत् श्रीमती फेफकंवर द्वारा रेस्पो0 संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित वसीयत से हक व अधिकार प्रभावित होना नहीं माना जा सकता है । अपीलांट दस्तावेजी साक्ष्यों से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 में अंकित कथनों को साबित करने में पूर्णतया असफल रहे है । अतः

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दस्तावेजी साक्ष्यों से साबित नहीं किये जाने से प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त किया जाता है।

9. अतः अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 96 जा0दी0 निरस्त होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील इसी स्तर पर निरस्त की जाती है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

10. निर्णय आज दिनांक 24-12-2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मेघना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर